सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 2021/0078 दर्ज तिथिः–27.01.2021

1. भरतराम पुत्र कल्याण सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 55 साल
2. महेश चन्द पुत्र कल्याण सहाय जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 40 साल
   समस्त निवासी जोधावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

................वादीगण

बनाम

1. महादेव पुत्र रामचन्द्र जाति हरियाणा ब्राह्मण अलवर उम्र 65 साल
2. लल्लू पुत्र रामचन्दर जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 60 साल
3. कैलाश पुत्र रामचन्दर जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 55 साल
4. कमलेश पुत्र महादेवा जाति हरियाणा ब्राह्मण उम्र 30 साल
   समस्त निवासी जोधावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।
5. दिनेश वर्मा पुत्र माहन लाल वर्मा जाति सुनार उम्र 58 साल निवासी टाईगर हेवन होटन अमराकाबास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान।

..........असल प्रतिवादीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री देवी सहाय शर्मा।
अप्रार्थी अधिवक्ताः– श्री गोपाल शर्मा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–92ए
काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—26.06.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा—92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का वास्ते निर्णय प्रार्थना—पत्र आदेश—7 नियम—11 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा नम्बर 448/1.15 है0, 426/1.37 है0, 428/1.10 है0 वाके ग्राम जोधावास तहसील थानागाजी जिला अलवर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त आराजी पर वादीगण कृषि—काश्त करते है। उक्त आराजीयात के पास ही आराजी हाल खसरा संख्या 679/412/2.23 है0 अवस्थित है। उक्त आराजी के पूर्व में प्रतिवादी 1 लगायत 3 की आराजी हाल खसरा संख्या 674/408/1.34 है0 अवस्थित है। उक्त आराजी के पास में ही प्रतिवादी संख्या 5 की आराजी हाल खसरा संख्या 673/408 अवस्थित है। उक्त आराजी हाल खसरा संख्या 679/412/2.23 है0 के पश्चिम की तरफ ही प्रतिवादी संख्या 4 की पत्नि की आराजी अवस्थित है। आराजी हाल खसरा संख्या 679/412/2.23 है0 पर वादी तथा प्रतिवादीगण का कब्जा है। प्रतिवादीगण वादीगण को उक्त कब्जे से बेदखल करना चाहते है। अंत में वादी ने निवेदन किया कि उक्त मुतनाजा आराजी पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी को उक्त आराजी के कब्जे से बेदखल नही करें।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन हाजिर न्यायालय हुये। प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रार्थना—पत्र आदेश—7 नियम—11 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा संख्या 679/412/2.23 है0 सिवायचक सरकारी जमीन है। उक्त सिवायचक सरकारी जमीन पर वादी ना तो खातेदार है और ना ही गैर खातेदार है। उक्त सिवायचक सरकारी जमीन पर वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। साथ ही उक्त आराजी किस्म बंजड सिवायचक सरकारी भूमि पर राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। अतः दावा काबिल—ए—खारिज फरमाया जावें।

3. वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र आदेश—7 नियम—11 अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 का विरोध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत दावा प्रस्तुत किया है। उक्त धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही हो तो धारा– 92(ए) के तहत निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दावा दायर किया जा सकता है। साथ ही उक्त आराजी किस्म बंजड सिवायचक सरकारी भूमि पर सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

4. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि आराजी हाल खसरा संख्या 679/412/2.23 है0 सिवायचक सरकारी जमीन है। उक्त सिवायचक सरकारी जमीन पर वादी ना तो खातेदार है और ना ही गैर खातेदार है। उक्त सिवायचक सरकारी जमीन पर वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। साथ ही उक्त आराजी किस्म बंजड सिवायचक सरकारी भूमि पर राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। अतः दावा काबिल–ए–खारिज फरमाया जावें। साथ ही दौराने बहस वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत दावा प्रस्तुत किया है। उक्त धारा में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही हो तो धारा– 92(ए) के तहत दावा दायर किया जा सकता है। साथ ही उक्त आराजी किस्म बंजड सिवायचक सरकारी भूमि पर सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें।

5. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–92 (ए) का अवलोकन आवश्यक है। जिसका उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> **92A. Suit for injunction**- Except as otherwise specifically provided elsewhere in this Act. any person may sue in respect of all or any of his rights conferred by this Act. for an injunction in accordance

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

with and subject to the provisions of Chapter X of the Specific Relief Act. 1877 (Central Act 1 of 1877).

6. उपरोक्त विधिक प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही हो तो धारा– 92(ए) के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 द्वारा प्रदत्त खातेदारी सम्बंधित अपने सभी या किसी अधिकार के लिये निषेधाज्ञा हेतु दावा दायर किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी सरकारी सिवायचक आराजी पर स्वयं खातेदार/गैर–खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही होकर विरूद्ध अप्रार्थी निषेधाज्ञा हेतु दावा लेकर आया है। प्रार्थी द्वारा अपने दावे में अभिकथनों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 द्वारा प्रदत्त खातेदारी सम्बंधित अपने सभी या किसी अधिकार के बारे में स्पष्ट नही किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि सिवायचक सरकारी या किसी तृतीय पक्ष की आराजी पर कोई व्यक्ति के निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई कानूनी प्रावधान नही है।

7. प्रकरण में उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के साथ प्रक्रिया व दावा लाने के प्राधिकार के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में भी विश्लेषण आवश्यक है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***11. Rejection of plaint:-****The plaint shall be rejected in the following cases-*
> ***(a)*** *where it does not disclose a cause of action;*
>
> ***(b)*** *where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
>
> ***(c)*** *where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

time to be fixed by the Court, fails to do so;

(d) *where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:*

Provided *that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper, as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

8. उपरोक्त विधिक प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति बिना वाद–हेतुक उत्पन्न हुए कोई दावा प्रस्तुत करता है तो वाद–हेतुक उत्पन्न नही होने के आक्षेप के प्रमाणीकरण पर दावा खारिज किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्व की सिवायचक आराजी पर किसी तृतीय व्यक्ति के विरूद्ध स्वयं की अतिक्रमी की हैसियत से स्वयं को बेदखल नही किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दावा दायर किया है। प्रकरण में प्रथमदृष्टया प्रार्थी का सरकार के स्वामित्व की सिवायचक आराजी पर किसी तृतीय व्यक्ति के विरूद्ध स्वयं की अतिक्रमी की हैसियत से स्वयं को बेदखल नही किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु कोई वाद–हेतुक स्पष्ट नही होता है। प्रकरण में प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी/गैर–खातेदारी/वैद्य कब्जे की आराजी से स्वयं को बेदखल नही किये जाने की स्थिति में प्रत्यक्षतः वाद–हेतुक उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रार्थी पर बिना वाद–हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है।

9. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–डी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा दावे के अभिकथनों के आधार पर कानून द्वारा वर्जित होने के आक्षेप के प्रमाणित होने पर दावा खारिज किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी राज्य सरकार के स्वामित्व की

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

सिवायचक आराजी पर किसी तृतीय व्यक्ति के विरूद्ध स्वयं की अतिक्रमी की हैसियत से स्वयं को बेदखल नही किये जाने हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु दावा दायर किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के अवलोकन से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 में कोई स्पष्ट प्रावधान नही हो तो धारा– 92(ए) के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 द्वारा प्रदत्त खातेदारी सम्बंधित अपने सभी या किसी अधिकार के लिये निषेधाज्ञा हेतु दावा दायर किया जा सकता है। प्रकरण में प्रार्थी सरकारी सिवायचक आराजी पर स्वयं खातेदार/गैर–खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही होकर विरूद्ध अप्रार्थी निषेधाज्ञा हेतु दावा लेकर आया है। प्रार्थी द्वारा अपने दावे में अभिकथनों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 द्वारा प्रदत्त खातेदारी सम्बंधित अपने सभी या किसी अधिकार के बारे में स्पष्ट नही किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि सिवायचक सरकारी या किसी तृतीय पक्ष की आराजी पर कोई व्यक्ति के निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई कानूनी प्रावधान नही है। इस प्रकार प्रार्थी पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत प्रथमदृष्टया बिना कानूनी प्राधिकार के दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होता है।

10. इस प्रकार प्रार्थी का दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–डी के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत प्रथमदृष्टया बिना कानूनी प्राधिकार के दावा प्रस्तुत करने से वर्जित होने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए के तहत प्रार्थी पर बिना वाद–हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने के आधार पर अप्रार्थी का दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए तथा क्लॉज–डी के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा– 92(ए) के तहत प्रथमदृष्टया बिना कानूनी प्राधिकार के दावा प्रस्तुत करने से वर्जित होने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने तथा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए के तहत प्रार्थी पर बिना वाद–हेतुक उत्पन्न हुए दावा प्रस्तुत करने का आक्षेप प्रथमदृष्टया प्रमाणिक प्रतीत होने के आधार पर अप्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए तथा क्लॉज–डी के तहत स्वीकार किया जाता है तथा परिणामस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के क्लॉज–ए तथा क्लॉज–डी के अनुसार दावा वादी खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 26.06.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
थानागाजी (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.07.21 12:07:45 IST
Reason: SelfAttested